UPME010079322026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
<u>प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2099/2026</u>

सुभाष पुत्र पप्पू उर्फ बाबू शरण, निवासी ग्राम उलधन, थाना–खरखौदा, जिला–मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–16/2026
अं0धारा–109(1),131,352,351(3),
115(2),118(1),3(5),125 बी0एन0एस0
थाना–खरखौदा, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से.....श्री चौ0 तेजवीर सिंह, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)
वादी की ओर से..... श्री अश्वनी कुमार पटेल, विद्वान अधिवक्ता

<u>दिनांक–29.05.2026</u>

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सुभाष की ओर से मुकदमा अपराध सं0–16/2026, अं0धारा–109(1),131,352,351(3),115(2),118(1), 3(5), 125 बी0एन0एस0, थाना–खरखौदा, जनपद–मेरठ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि दिनांक 28.01.2026 को समय करीब 06.00 बजे शाम पिंटू, मामचंद, **सुभाष** व सतीश एक राय होकर वादी के भाई व उसकी मां ओमवती पर जान से मारने की नीयत से बलकटी व धारदार हथियार से हमला किया, जिससे शिवम के दोनों हाथ कट गये तथा उसकी मां का चेहरा कट गया। जब वादी का छोटा भाई आदित्य बचाने आया तो इन लोगों ने उसके सिर पर भी हमला कर दिया, जिससे उसे चोटें आयी।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि :–

- प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है।
- कथित घटना में किसी भी चोटहिल को ऐसी कोई चोट नहीं है, जिससे धारा–109(1) बी0एन0एस0 का अपराध सिद्ध होता हो।
- चोटहिलगण को आयी चोटें साधारण प्रकृति की है।
- कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि धारदार हथियार क्या था?
- कथित घटना कहीं ओर कारित बतायी जाती है, जबकि सी0सी0टी0वी0फुटेज कहीं ओर का एकत्रित किया गया है।
- कथित घटना में विवाद कुत्ते के काटने को लेकर होना बताया जाता है, जबकि कुत्ते के काटने की कोई चोट चोटहिल को नहीं आयी है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है।
- प्रार्थी/अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त कोई फावड़ा बरामद नहीं किया गया है।
- प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
- तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित की गयी है। अभियुक्त की भूमिका व कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. निर्णय विधि **स्टेट आफ यू0पी0 बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005)8 एस0सी0सी0–21** में यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अथवा युक्ति–युक्त आधार यह विश्वास करने का है कि

उसने अपराध कारित किया है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने साथ ही साथ आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता, दोषसिद्धि की दशा में दण्डादेश की कठोरता, जमानत प्रदान किए जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय, अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति, अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना, साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय एवं जमानत स्वीकार किए जाने की दशा में न्यायहित समाप्त होने का भय के बिन्दुओं पर विचार किये जाने हेतु दिशा–निर्देशित किया है।

8. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। उसके विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के भाई व उसकी मां पर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से प्रहार किये जाने के आरोप हैं।

9. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि उसके विरूद्ध धारा–109(1) बी0एन0एस0 का कोई अपराध नहीं बनता है।

10. अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि चोटहिल **शिवम** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी हैं :–

1. Incised wound over the right hand 9cm x 1cm red in colour musle deep. Active bleeding present.

2. Incised wound over the left FA 2cm x 0.5cm red in colour. Advise X-ray right hand. चोटहिल **आदित्य** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी हैं :–

1. Abrasion over the front of uper part of chest 3cm x 1cm red in colour.

2. Abrasion over left FA 1cm x 1cm red in colour. चोटहिल **ओमवती** की पूरक परीक्षण आख्या/एन0सी0सी0टी0 रिपोर्ट में Fractgure of left nasal bone and anterior wall of left maxillary sinus with associated hemo-sinus पाया गया है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। केस डायरी में डाक्टर भानू प्रताप सिंह के बयान का विवरण दिया गया है, जिनके द्वारा कथन किया गया है कि जब मरीज ओमवती को लाया गया तब उसका बायीं तरफ का चेहरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त था, चेहरे की हड्डी पूरी तरह टूटी हुई थी, मांस फटकर अलग हो गया था तथा नाक का हिस्सा भी अलग हो गया था। मरीज को आयी चोट इतनी गंभीर थी कि उसकी जान भी जा सकती थी और ओब्जेक्ट जरा सा अंदर और चला जाता तो ब्रेन भी बाहर आ सकता

था। मरीज की ये चोटें गंभीर प्रकृति की थी। मरीज के चेहरे की हड्डियों, जिसमें मौग्जिला बोन विशेष है, को प्लेट लगाकर जोडा गया और चेहरे के अलग हुए मांस को, नाक को व होठ को रिपेयर कर टांको से जोडा गया।

12. केस डायरी में वादी मुकदमा सचिन, मजरूब शिवम, आदित्य व ओमवती तथा चश्मदीद गवाह नरेश चंद व सुनीता द्वारा अपने–अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

13. प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचना करने के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है।

14. प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित आरोप में अधिकतम दण्ड 10 वर्ष का प्रावधानित है। मामला गंभीर प्रकृति का है।

15. इस मामले के सह–अभियुक्त सतीश का नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

16. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का कोई न्यायोचित एवं न्यायसंगत आधार प्रकट नहीं होते हैं। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त सुभाष द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 29.05.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6030

Saurabh Rastogi (P.A.)